मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3–205/2012/32 भोपाल दिनांक / /2014

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला जबलपुर ।
2. संयुक्त संचालक,
   नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
   जबलपुर ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत जबलपुर।
4. आयुक्त
   नगर निगम जबलपुर ।

विषय :–जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत्।

राज्य शासन ने जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि

(एस के मुदगल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्रमांक 332
दिनांक 06/3/14
शाखा
अधीक्षक

पृ0क0–एफ 3–205/2012/32 भोपाल दिनांक 4/3/2014

प्रतिलिपि :–

आयुक्त–सह–संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु

भोपाल, दिनांक 4/03/2014

क्रमांक–एफ–3–205/2012/32::मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,(संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	महगवा	81/4 में से	19.00 हे0	नगर वन	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
		85 में से	25.283हे0	नगर वन	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
		85 में से	16.00 हे0	कृषि	सार्वाजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
		योग–	60.283 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर तथा www. mptownplan. nic. in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(वर्षा नावलेकर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग